

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART- II, SECTION 3, SUB-SECTION (II)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

.....

New Delhi, the 7th Dec. 1999

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EA of the Income Tax Act, 1961 the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following equity and debentures as a long term capital asset for the purposes of said sub-section, namely:-

- a) equity to be issued within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, of an amount not exceeding Rupees nine hundred thirteen crores by M/s Reliance Power Limited., a public company registered under the Indian Companies Act, 1956 and having its registered office at Avdesh House, 3rd Floor, Pritam Nagar, 1st Slope, Ellis Bridge, Ahmedabad – 380 006; and
- b) bonds to be issued within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette of an amount not exceeding Rupees two thousand one hundred thirty two crores by M/s Reliance Power Limited., a public company registered under the Indian Companies Act, 1956 and having its registered office at Avdesh House, 3rd Floor, Pritam Nagar, Ist Slope, Ellis Bridge, Ahmedabad – 380 006:

Provided that the investment in the aforesaid equity and debentures specified in this notification is made by an assessee out of net consideration arising from transfer of long term capital asset in accordance with the provisions of the said sub-section:

(2)

Provided further that in case the assessee transfers or converts with (otherwise than by transfer) into money the aforesaid equity and debentures specified in this notification to it in any manner within a period of three years from the date of the allotment, the initial investment made by such assessee in such equity and debentures shall be chargeable to tax under the head "Capital Gains" in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 54EA of the Income-tax Act, 1961.

Notification No. 11159.



(MONA M. VERMA)

Under Secretary to the Government of India

(F.No.178/57/99-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर, 1999

अधिसूचना
[आयकर]

कठोरा **[अ]** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 545-क की उपधारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पत्रद्वारा निम्नलिखित शिक्वटी और डिबेवरी को उक्त धारा के प्रयोजनाई दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:-

[अ] मैसर्स रिनायन्स पावर लि0, जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय व्यवस्था हाऊस, तृतीय तल, प्रीतमनगर, प्रकाशलोप, एल्मीन डिज, अहमदाबाद-380005 है, द्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले नौ सौ तेरह करोड़ 80 से अधिक की धनराशि की शिक्वटी; और

[अ] मैसर्स रिनायन्स पावर लि0 जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक लोक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय व्यवस्था हाऊस, तृतीय तल, प्रीतमनगर, प्रकाशलोप, एल्मीन डिज, अहमदाबाद-380005 में है, द्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दो हजार एक सौ बत्तीस करोड़ 80 से अधिक की धनराशि के अधिसूचना ।

अर्थात् कि कर निश्चरितरी द्वारा उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के अन्तर्गत से उद्भूत होने वाले निम्नलिखित प्रतिफल में से इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त शिक्वटी और डिबेवरी में निवेश किया जाता है ।

जाते यह भी कि यदि कोई कर निर्धारित उसको आवंटित इन अधिसूचना
में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त इच्छिती तथा डिबेवरी को उनके आवंटन की तारीख से
3 वर्ष के भीतर किसी भी रूप में रकम में अन्तरित अथवा परिवर्तित अन्तरण के
बिना अन्यायपूर्ण करता है तो ऐसे कर निर्धारित द्वारा ऐसे इच्छिती और
डिबेवरी में किए गए आरम्भिक निवेश पर उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार
"पूजीगत अभिलाष" शीर्ष के अन्तर्गत कर लगाया जाएगा ।

मोना अम्

मोना अम् अम्

अवर सचिव, भारत सरकार

कॉटो सं 178/57/99-वायकर वि०-1।

अधिसूचना सं० 12159

सेवा में,

पुस्तक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नई दिल्ली ।